




FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)SN

| | |
|--|---|
| प्रार्थी | अप्रार्थी |
| राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर | कमल कुमार पुत्र लाखाराम जाट चान्दपुरा वगैरह |
| किस्म मुकदमा प्रार्थना-पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 | |
| प्रार्थना-पत्र नम्बर 844 / 2021 | GCMS No. 2021/1115 |
| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
| 09.12.2021 | <p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p> <p>राजस्थान राज्य सरकार की ओर से जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी की ओर से प्रार्थना-पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के तहत कैम्प ग्राम पंचायत रसाल में प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रकरण का अलवोकन किया गया। ग्राम चान्दपुरा पटवार मण्डल जिलिया तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1280 में जा रहे चालू रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू- अभिलेख नियम 1957 का मय दस्तावेजात चालू नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, रिपोर्ट पटवारी हल्का परिशिष्ट " ए " एवं अभिशंषा तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा की गई है। सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है सम्बन्धित खातेदारान की प्रकरण में सहमती नहीं है तथा न ही किसी प्रकार का संबंधित खातेदारो द्वारा लिखित स्वरूप सहमती पत्र या अनापत्ती प्रस्तुत हुई है अतः प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर) </p> |
|  | |
|  | |